न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या–2
(विशेष न्यायालय), जविप्रा, जयपुर महानगर–द्वितीय।

पीठासीन अधिकारी : मोनिका खीचड़, आर.जे.एस.

नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या : 174 / 2021

सी.आई.एस. नम्बर : 216 / 2021

जयपुर विकास प्राधिकरण – **परिवादी**

विरूद्ध

लल्लूराम चौधरी पुत्र श्री सेडूराम चौधरी, उम्र 65, निवासी ग्राम–रामपुरा, तहसील–सांगानेर, जयपुर।

– अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 31(1), 32(7) व 33 (2) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2010)

उपस्थिति :

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी वास्ते राजस्थान राज्य।
2. श्री अनिल कुमार वशिष्ठ, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त।

निर्णय

दिनांकः 29.06.2026

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 29.09.2021 को जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन अधिकारी जोन–8 श्री रोहित श्रीवास्तव द्वारा धारा 31(1), 32(7) एवं 33(2) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2010) के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध का परिवाद प्रस्तुत कर यह अभिकथित किया गया है कि दिनांक 21.11.2019 को निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि अभियुक्त द्वारा जविप्रा की स्वीकृति व अनुमति के बिना भूखण्ड संख्या 88 पर सैटबैक को कवर करते हुए स्टील्ट+पार्किंग+ग्राउण्ड फ्लोर की छत डालकर प्रथम मंजिल पर कॉलम खडे करके ईंटों की चिनाई की जाकर निर्माण किया जा रहा था, जो अवैध है। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा अभियुक्त को उक्त तथ्यों के आधार पर धारा 32 व 33 जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 के तहत नोटिस दिया जाकर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बाद अभियोजन स्वीकृति परिवाद न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। उक्त परिवाद पेश होने पर अभियुक्त लल्लूराम चौधरी के विरूद्ध दिनांक 01.10.2021 को अन्तर्गत धारा 31(1), 32(7) एवं 33(2) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 (जयपुर

विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2010) के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अभियुक्त की तलबी जारी की गई।

2. अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित होने पर अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 31(1), 32(7) एवं 33(2) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 (जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2010) के आरोप की विशिष्टियाँ पृथक से विचरित कर सुनायी एवं समझायी गयी तो अभियुक्त ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य गवाह पी.डब्ल्यू–1 मुकेश शर्मा, पी. डब्ल्यू–2 रोहित श्रीवास्तव, पी.डब्ल्यू–3 श्रीचन्द सिंह, पी.डब्ल्यू–4 अरूण कुमार एवं पी.डब्ल्यू–5 निर्मल शर्मा के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में धारा 32 जविप्रा अधिनियम का नोटिस प्रदर्श पी–1, धारा 33 जविप्रा अधिनियम का नोटिस पी–2, रिपोर्ट अनाधिकृत निर्माण प्रदर्श पी–3, नोटिसों का जवाब प्रदर्श पी–4, जोन की रिपोर्ट प्रदर्श पी–5, मौके का फोटोग्राफ प्रदर्श पी–6, सक्षमता आदेश प्रदर्श पी–7 व पी–8, चालानी स्वीकृति प्रदर्श पी–9, परिवाद प्रदर्श पी–10 प्रदर्शित करवाये गये।

4. अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने गवाहों के कथनों को गलत होना बताते हुए विशेष कथनों में अभिवाक् किया कि उसके द्वारा अनुमोदित साईट प्लान के अनुसार निर्माण किया गया है और उसके द्वारा कोई अवैध / अनाधिकृत निर्माण नहीं किया गया है और उसके खिलाफ गलत परिवाद पेश किया गया है।

5. प्रतिरक्षा साक्ष्य में अभियुक्त की ओर से कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई।

6. बहस अंतिम सुनी गई। विद्वान अभियोजक अधिकारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि अभियुक्त द्वारा जविप्रा की स्वीकृति व अनुमति के बिना भूखण्ड संख्या 88 पर सैटबैक को कवर करते हुए स्टील्ट+पार्किंग+ग्राउण्ड फ्लोर की छत डालकर प्रथम मंजिल पर कॉलम खडे करके ईंटों की चिनाई की जाकर अवैध निर्माण किया जा रहा था। गवाह पीडब्ल्यू–1 मुकेश शर्मा प्रवर्तन अधिकारी ने मौका निरीक्षण कर उसे अवैध निर्माण कार्य को बन्द करने तथा किये गये अवैध निर्माण कार्य को हटाने बाबत् नोटिस भी दिया था, परन्तु फिर भी उसने निर्माण कार्य जारी रखा और अवैध निर्माण को नहीं हटाया। गवाहान पी.डब्ल्यू–1 मुकेश शर्मा, पी.डब्ल्यू–2 मुकेश शर्मा, पी.डब्ल्यू–3 श्रीचन्द सिंह, पी.डब्ल्यू–4 अरूण कुमार एवं पी.डब्ल्यू–5 निर्मल शर्मा के बयानों व प्रदर्शित दस्तावेजात् प्रदर्श पी–1 लगायत पी–10 से आरोपित अपराध संदेह से परे सिद्ध होता है, इसलिए अभियुक्त लल्लूराम चौधरी को जयपुर विकास

प्राधिकरण की धारा 31(1), 32(7) व 33(2) के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध कर दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उक्त तर्कों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किये गये है कि अभियुक्त द्वारा अनुमोदित साईट प्लान के अनुसार ही निर्माण किया था और कोई अवैध निर्माण नहीं किया गया था। अभियोजन साक्ष्य से आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

8. इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्न हैः–

1. ''आया अभियुक्त द्वारा जविप्रा की स्वीकृति व अनुमति के बिना भूखण्ड संख्या 88, रोडूराम नगर, पत्रकार कॉलोनी पर सैटबैक को कवर करते हुए स्टील्ट+पार्किंग+ग्राउण्ड फ्लोर की छत डालकर प्रथम मंजिल पर कॉलम खडे करके ईंटों की चिनाई की जाकर जाकर अवैध निर्माण किया जा रहा था ?

2. ''आया अभियुक्त को उक्त अवैध निर्माण कार्य को हटाने व बन्द करने का नोटिस देने के बावजूद भी अवैध निर्माण कार्य को बन्द नहीं किया और ना ही हटाया ?

3. यदि हॉ तो उचित दण्ड क्या हो?

9. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु बाबत् आरोपित अपराध के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सुक्ष्म परीक्षण व विश्लेषण किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 31(1), 32(7) व 33 (2) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2010) के आरोपित अपराध को सिद्ध करने के लिए अभियोजन की ओर से कुल 05 गवाहान को परीक्षित करवाया गया है, जिनमें से मुख्य गवाह पीडब्ल्यू–1 मुकेश शर्मा ने अपने बयानों में मुख्य रूप से कथन किया है कि दिनांक 21.11.2019 को वह जेडीए जोन–8 में प्रवर्तन अधिकारी के पद पर कार्यरत था। उसके द्वारा लल्लूराम चौधरी के नाम से धारा 32 व 33 जेडीए एक्ट के नोटिस इस बाबत् जारी किये थे कि गैरसायल द्वारा भूखण्ड संख्या 88, रोडूराम नगर, पत्रकार कॉलोनी पर जविप्रा की अनुमति व स्वीकृति के बिना सैटबैक को कवर करते हुए स्टील्ट पार्किंग व ग्राउण्ड फ्लोर की छत डालकर प्रथम मंजिल पर कॉलम खडे करके ईंटो की चिनाई की जा रही थी, जो अवैध है। धारा 32 व 33 जेडीए एक्ट के नोटिस क्रमशः प्रदर्श पी–1 व पी–2 है, जिनपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मौके पर गैर सायल के नहीं मिलने से नोटिस की एक मूल प्रति गैर सायल के रिश्तेदार फूलचन्द को तामील कराई गई, जिसकी तामीली रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 व पी–2 की पुश्त पर ए से बी व सी से डी अंकित है और ई से एफ फूलचन्द के हस्ताक्षर है। उसके द्वारा मौके

पर रिपोर्ट अनाधिकृत निर्माण तैयार की गई, जो प्रदर्श पी–3 है, जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। बाद नोटिस गैरसायल लल्लूराम ने उसके समक्ष उक्त नोटिसो का जवाब पेश किया, जो प्रदर्श पी–4 है, जिसपर ए से बी जवाब सन्तोषजनक नहीं पाये जाने बाबत् टिप्पणी व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 20.02.2020 को उसके द्वारा पुनः मौका देखा गया तो मौके पर अवैध निर्माण बदस्तूर मौजूद व चालू हालत में मिला, जिसकी टिप्पणी प्रदर्श पी–1 व पी–2 की पुश्त पर जी से एच व आई से जे उसके हस्ताक्षर है। इसी दौरान उसका स्थानान्तरण अन्यत्र जोन में होने के कारण तबतक की गई कार्यवाही सहित पत्रावली प्रवर्तन शाखा में सुपुर्द की गई। इस गवाह से की गई जिरह में ऐसे कोई विशेष तथ्य सामने नहीं आये है जिससे गवाह की विश्वसनीयता पर कोई विपरित प्रभाव पड़ता हो।

10. अन्य गवाहान पीडब्ल्यू–3 श्रीचन्द सिंह व पीडब्ल्यू–2 रोहित श्रीवास्तव ने अपने बयानों में मुख्य रूप से कथन किया है कि क्रमशः दिनांक 18.10.2020 व दिनांक 14.07.2021 को वे जेडीए जोन–08 में प्रवर्तन अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। उनसे पूर्व के प्रवर्तन अधिकारी द्वारा लल्लूराम चौधरी के नाम से भूखण्ड संख्या 88, रोडूराम नगर, पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर जयपुर पर हुये अवैध निर्माण के संबंध में धारा 32 व 33 जविप्रा अधिनियम के नोटिस जारी किये थे। तब तक की गई कार्यवाही सहित पत्रावली उन्हें प्राप्त हुई। उनके द्वारा क्रमशः दिनांक 18.10.2020 व दिनांक 14.07.2021 को उक्त भूखण्ड का पुनः मौका देखा गया तो मौके पर अवैध निर्माण बदस्तूर मौजूद मिला एवं नोटिस जारी करने के पश्चात द्वितीय मंजिल एवं तृतीय मंजिल का निर्माण और कर लिया है, जो अवैध है, जिसकी टिप्पणी प्रदर्श पी–1 व पी–2 की पुश्त पर अंकित कर हस्ताक्षर किये। गवाह पीडब्ल्यू–2 रोहित श्रीवास्तव ने आगे यह भी कथन किया है कि उक्त भूखण्ड पर हुये अवैध निर्माण के संबंध में जोन से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जो प्रदर्श पी–5 है जिसपर प्रमाणक के रूप में ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा मौके का फोटोग्राफ प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया, जो प्रदर्श पी–6 है, जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। सक्षमता आदेश की प्रति प्रदर्श पी–7 व पी–8 है जिसपर क्रमशः ए से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण में नोटिस पश्चात् लल्लूराम चौधरी ने नोटिसों का जवाब मय छायाप्रति दस्तावेज पेश किये थे, जो शामिल पत्रावली है। सम्पूर्ण जॉच के पश्चात् उसके द्वारा लल्लूराम चौधरी के विरूद्ध धारा 31,32 व 33 में चालानी स्वीकृति प्राप्त की गई, जो प्रदर्श पी–9 है, जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी चालानी स्वीकृति व ई से एफ तत्कालीन उपनियंत्रक प्रवर्तन राजेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर है। उसके द्वारा दस्तावेजों की सम्पूर्ण जॉच के पश्चात् लल्लूराम चौधरी के विरूद्ध धारा 31, 32 व 33 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में परिवाद पेश किया जो प्रदर्श पी–10 है जिसपर ए से बी दो जगह उसके हस्ताक्षर है। इन गवाहान से की गई जिरह में भी ऐसे कोई विशेष तथ्य सामने नहीं आये है जिससे गवाहान की विश्वसनीयता

पर कोई विपरित प्रभाव पड़ता हो।

11. अन्य गवाह पीडब्ल्यू–4 अरूण कुमार ने अपने बयानों में मुख्य रूप से कथन किया है कि दिनांक 13.12.2019 को वह जेडीए जोन–08 में जेईएन के पद पर कार्यरत था। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा लल्लूराम चौधरी के नाम से भूखण्ड संख्या 88, रोडूराम नगर, पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर जयपुर पर हुये अवैध निर्माण के संबंध में धारा 32 व 33 जविप्रा अधिनियम के नोटिस जारी किये थे। नोटिस पश्चात् पत्रावली उक्त भूखण्ड पर किये गये अवैध निर्माण के संबंध रिपोर्ट करने हेतु जोन–8 में प्राप्त हुई थी। इस पर उसके द्वारा उक्त भूखण्ड का मौका देखा गया व रिपोर्ट अतिक्रमण तैयार की गई थी। मौका अनुसार उक्त भूखण्ड पर जी+1 की छत डाली जाकर द्वितीय तल की छत के कॉलम का कार्य अधूरा छोडा गया था। उक्त भूखण्ड पर किया गया निर्माण नियमानुसार रिक्त छोडे जाने वाले सैटबैक क्षेत्र पर भी कर लिया गया था, जो अवैध निर्माण के अन्तर्गत है। सैटबैक क्षेत्र पर अवैध निर्माण का प्रथम तल के उपर निर्माण ''आवासीय यूनिट'' कर लिया था, जो अवैध है। उसके द्वारा उक्त रिपोर्ट नाप जोख के अनुसार मय नजरी नक्शा तैयार की थी। उक्त भूखण्ड पर आगे की तरफ 15 फीट के स्थान पर 2 फीट 3 ईंच व पीछे की तरफ 10 फीट के स्थान पर 4 फीट 9 ईंच तथा साईड में 10 फीट के स्थान पर 3 फीट ही सैटबैक छोडा गया था और प्रथम तल पर सम्पूर्ण सैटबैक क्षेत्र में बॉलकानी निकाल रखी थी। उक्त रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रदर्श पी–5 है जिसपर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। इस गवाह से की गई जिरह में भी ऐसे कोई विशेष तथ्य सामने नहीं आये है जिससे गवाह की विश्वसनीयता पर कोई विपरित प्रभाव पड़ता हो।

12. अन्य गवाह पीडब्ल्यू–5 निर्मल शर्मा ने अपने बयानों में मुख्य रूप से कथन किया है कि दिनांक 20.12.2019 को वह जेडीए जोन–08 में एटीपी के पद पर कार्यरत था। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा लल्लूराम चौधरी के नाम से भूखण्ड संख्या 88, रोडूराम नगर, पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर जयपुर पर हुये अवैध निर्माण के संबंध में धारा 32 व 33 जविप्रा अधिनियम के नोटिस जारी किये थे। नोटिस पश्चात पत्रावली उक्त भूखण्ड पर किये गये अवैध निर्माण के संबंध में रिपोर्ट करने हेतु जोन–8 में प्राप्त हुई थी। इस पर जोन में पदस्थापित कनिष्ठ अभियन्ता अरूण कुमार द्वारा उक्त भूखण्ड का मौका देखा गया तथा रिपोर्ट अतिक्रमण प्रदर्श पी–5 मय नजरी नक्शा तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु उसके समक्ष प्रस्तुत की गई। उसके द्वारा उक्त भूखण्ड के जविप्रा द्वारा जारी साईट प्लान एवं रिपोर्ट अतिक्रमण प्रदर्श पी–5 का निरीक्षण करके पत्रावली जरिये जोन कार्यालय प्रवर्तन शखा में भिजवाई गई, उक्त रिपोर्ट पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। इस गवाह से की गई जिरह में भी ऐसे कोई विशेष तथ्य सामने नहीं आये हैं जिससे उक्त गवाह की विश्वसनीयता पर कोई विपरित प्रभाव पड़ता हो।

13. इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त विवेचित मौखिक व प्रलेखिय साक्ष्य का विश्लेषण करते हैं तो यह प्रकट होता है कि दिनांक 21.11.2019 को गवाह पीडब्ल्यू–1 मुकेश शर्मा द्वारा प्रवर्तन अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुए मौके पर जाकर मौका देखा गया तो अभियुक्त द्वारा जविप्रा की अनुमति व स्वीकृति के बिना भूखण्ड संख्या 88 पर सैटबैक को कवर करते हुए स्टील्ट+पार्किंग+ग्राउण्ड फ्लोर की छत डालकर प्रथम मंजिल पर कॉलम खडे करके ईंटों की चिनाई कर अवैध निर्माण कार्य करना पाया गया, जिसके संबंध में रिपोर्ट अनाधिकृत निर्माण प्रदर्श पी–3 बनाये जाने का कथन किया। उक्त गवाह के कथनों की ताईद रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 से भी होती है। उसके पश्चात् निर्माणकर्ता लल्लूराम चौधरी को जविप्रा अधिनियम की धारा 32 व 33 के जारी नोटिस क्रमशः प्रदर्श पी–1 व पी–2 गैरसायल के रिश्तेदार फूलचन्द को तामिल करवाये गये। उक्त नोटिस की पुश्त पर रिपोर्ट तथा प्रवर्तन अधिकारी के हस्ताक्षर है। नोटिस पश्चात् उक्त भूखण्उ पर किये गये अवैध निर्माण के संबंध में रिपोर्ट करने हेतु पत्रावली जोन–8 में प्राप्त होने पर दिनांक 13.12.2019 को गवाह पीडब्ल्यू–4 अरूण कुमार तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा भूखण्ड संख्या 88, रोडूराम नगर, पत्रकार कॉलोनी का मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रदर्श पी–5 तैयार कर पत्रावली एटीपी के समक्ष प्रस्तुत करने, जिसपर गवाह पीडब्ल्यू–5 निर्मल शर्मा तत्कालीन एटीपी द्वारा उक्त भूखण्ड के अनुमोदित मानचित्र अनुसार रिपोर्ट अतिक्रमण प्रदर्श पी–5 की निरीक्षण कर पत्रावली प्रवर्तन शाखा में भिजवाये जाने का कथन किया है। उक्त दोनों गवाहान ने भूस्वामी द्वारा भूखण्ड संख्या 88 पर आगे की तरफ 15 फीट के स्थान पर 2 फीट 3 ईंच व पीछे की तरफ 10 फीट के स्थान पर 4 फीट 9 ईंच तथा साईड में 10 फीट के स्थान पर 3 फीट ही सैटबैक छोड़ने और प्रथम तल पर सम्पूर्ण सैटबैक क्षेत्र में बॉलकानी निकाले जाने का कथन किया। उक्त गवाहान के कथनों की ताईद रिपोर्ट प्रदर्श पी–5 से भी होती है। उसके उपरान्त दिनांक 20.02.2020 को गवाह पीडब्ल्यू–1 मुकेश शर्मा, दिनांक 18.10.2020 को गवाह पीडब्ल्यू–3 श्रीचन्द सिंह एवं दिनांक 14.07.2021 को गवाह पीडब्ल्यू–2 रोहित श्रीवास्तव द्वारा पुनः मौका देखने पर अवैध निर्माण बदस्तूर मौजूद होना तथा दिनांक 14.07.2021 को नोटिस पश्चात् द्वितीय व तृतीय मंजिल का अतिरिक्त निर्माण कर लिया जाना बताया, जिसकी टिप्पणी प्रदर्श पी–1 व पी–2 की पुश्त पर अंकित होना तथा मुकेश शर्मा, श्रीचन्द सिंह एवं रोहित श्रीवास्तव के हस्ताक्षर होना सिद्ध होता है। उक्त तथ्यों की ताईद प्रदर्शित दस्तावेजों से भी होती है। इस तरह से परिवाद में अंकित तथ्य पूर्ण रूप से सिद्ध होते हैं। इसके विपरित अधिवक्ता अभियुक्त ने नियमानुसार सैटबैक छोड़कर निर्माण किये जाने का तर्क तो दिया है परन्तु इस संबंध में अभियुक्त की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है, जिससे निर्माण नियमानुसार होना साबित होता हो। ऐसे में अधिवक्ता अभियुक्त का उक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

14. अतः पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त विवेचित साक्ष्य से यह संदेह से परे सिद्ध होता है कि अभियुक्त लल्लूराम चौधरी द्वारा जविप्रा की अनुमति व स्वीकृति के बिना भूखण्ड संख्या 88, रोडूराम नगर, पत्रकार कॉलोनी पर सैटबैक को कवर करते हुए स्टील्ट+पार्किंग+ग्राउण्ड फ्लोर की छत डालकर प्रथम मंजिल पर कॉलम खडे करके ईंटों की चिनाई की जाकर जाकर अवैध निर्माण किया जा रहा था और नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी उक्त अवैध निर्माण को नहीं रोका और ना ही हटाया गया। अतः अभियुक्त लल्लूराम चौधरी को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 31(1), 32(7) व 33(2) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2010) के आरोप में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—: <u>आदेश</u> :—

परिणामतः अभियुक्त लल्लूराम चौधरी पुत्र श्री सेडूराम चौधरी, उम्र 65वर्ष, निवासी ग्राम—रामपुरा, तहसील—सांगानेर, जयपुर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 31(1), 32(7) व 33(2) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2010) के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(मोनिका खीचड़)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम—2,
(विशेष न्यायालय), जविप्रा, जयपुर महानगर—द्वितीय

सजा के बिन्दु पर सुनवाई :

सजा के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क प्रस्तुत किये है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है तथा अभियुक्त 65वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है। अतः अभियुक्त को अपराधी परीविक्षा अधिनियम के अन्तर्गत परीविक्षा का लाभ दिये जाने का निवेदन किया। इसके विपरित विद्वान अभियोजन अधिकारी ने उक्त तर्को का विरोद्ध कर अभियुक्त को अधिकतम अर्थदण्ड़ से दण्ड़ित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षों के उपरोक्त तर्को के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार के अपराधों में यदि नरमी का रूख अपनाया जाता है तो नियमों के विपरीत अवैध निर्माणों की संख्या में उत्तरोतर वृद्धि होगी व धारा 31(1), 32(7) व 33(2) जविप्रा अधिनियम में न्यूनतम जुर्माने का प्रावधान है, जिससे स्पष्ट है कि अधिनियम की सख्त पालना कराई जाना विधायिका का उद्देश्य रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को अपराधी परीविक्षा अधिनियम के अन्तर्गत परीविक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्त को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाता है।

—: दण्डादेश :—

परिणामस्वरूप अभियुक्त लल्लूराम चौधरी पुत्र श्री सेडूराम चौधरी, उम्र 65वर्ष, निवासी ग्राम—रामपुरा, तहसील—सांगानेर, जयपुर को जविप्रा अधिनियम की धारा 31(1) के दोषसिद्ध अपराध में 25,000/— रूपये अर्थदण्ड, जविप्रा अधिनियम की धारा 32(7) के दोषसिद्ध अपराध में 25,000/— रूपये अर्थदण्ड तथा जविप्रा अधिनियम की धारा 33(2) के दोषसिद्ध अपराध में 30,000/— रूपये अर्थदण्ड, इस प्रकार अभियुक्त को कुल 80,000/— रूपये (अक्षरे अस्सी हजार रूपये मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त प्रत्येक धारा में 07—07 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा। अभियुक्त के न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

अभियुक्त धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 6 माह की अवधि के लिए राशि 10,000/— रूपये के जमानतनामा व बंध पत्र प्रस्तुत करे। निर्णय CIS पर नियमानुसार अपलोड किया जावे।

(मोनिका खीचड़)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम—2,
(विशेष न्यायालय), जविप्रा, जयपुर महानगर—द्वितीय

निर्णय व आदेश आज दिनांक 29.06.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मोनिका खीचड़)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम—2,
(विशेष न्यायालय), जविप्रा, जयपुर महानगर—द्वितीय